



यमुना एक्सप्रेस सवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम वल, माथिम कॉम्पलेक्स, सेक्टर जोनेवा-1, (पी-2),
ग्रेटर नोएडा सिटी, जनपद भातमबुद नगर (उ०प्र०)

पत्रांक- वाई.ई.ए./PROP/60/2017

दिनांक : 28.09.2017

सार्वजनिक सूचना

प्राधिकरण की 81वीं बोर्ड बैठक में प्राधिकरण के आवंटियों को निम्नलिखित सुविधा अनुमत्य की गई है :-

1. किरातों की अदायगी हेतु आवासीय मूल्यव्यय योजना 2009(1) के लिये अक्टूबर/नवम्बर, 2013 से अक्टूबर/नवम्बर, 2016 तक की अग्रुप को शुन्य काल घोषित किया जाता है तथा निर्दिष्ट किया जाता है कि आवंटियों द्वारा अपनी किरातों का भुगतान नवम्बर, 2019 तक अथवा प्लॉट पर भौतिक कब्रों की तिथि, जो पहले हो, तक किया जाये तथा तदनुसार किरातों का निर्धारण किया जाये।
2. प्राधिकरण की आवासीय भवन योजना बी0एच0एस0-04/2014 एवं बी0एच0एस0-05/2015 में आवंटित बहुमंजिले भवनों के आवंटियों को यदि वे प्राधिकरण द्वारा पूर्व में निर्मित भवनों की योजना में रिक्त हुए भवनों में घर जारी होने के 1 माह के अन्दर शिफ्ट होने का विवेक चुन सकते हैं अथवा 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भवन को सम्पन्न करके अपनी जमा धनराशि (Penal Interest के अलावा) वापस ले सकते हैं।

विरोध कार्यपालिका